

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5023 / 2022

विजेन्द्र कुमार पारीक

—अपीलार्थी

### बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान डॉ. राधा कृष्ण शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रूंडी की ढाणी, खोरालदखानी, शाहपुरा, जयपुर।
4. रामलाल जाट, वर्तमान पदस्थापित स्थान अध्यापक लेवल-1 (संस्कृत) राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, शिवदान सिंह की ढाणी, जिला बाड़मेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022

आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य  
एम. एस. काला, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल-1 (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रूण्डी की ढाणी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या-2 ने आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, शिवदान सिंह की ढाणी, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं बिना किसी राजहित के केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (Accommodate) करने के उद्देश्य से 600 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिताजी वृद्ध है, जिनको वर्ष 2010 से Paralysis की बीमारी से पीड़ित है, जिनका C.K. Birla, NIIMS Hospital, SMS Hospital में ईलाज चल रहा है। अपीलार्थी की पत्नी थॉयरायड की बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी की माताजी एक वृद्ध महिला है, जो Spinal Code Problem से पीड़ित है, जिनका निरन्तर ईलाज चल रहा है। इनकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। इनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।
4. अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक-2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अध्यापक लेवल-1 (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रूण्डी की ढाणी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
6. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता

है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य